न्यायालय, श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, होशंगाबाद

1. रेवती प्रसाद आ0 मूलचंद...
2. चिमनलाल आ0 मूलचंद
3. श्रीमती श्यामाबाई पुत्री नानकराम
4. जगदीश आ0 नानकरराम
5. बनवारीलाल आ0 नानकराम
6. दिनेश आ0 नानकराम .... आवेदकगण

बनाम

1. मथुरा प्रसाद आ0 बालकदास
2. चन्द्रशेखर आ0 बालकदास
3. ब्रजकिशोर आ0 बालकदास
4. दयाराम आ0 बालकदास

सभी निवासी ग्राम ताराखेड़ा, तहसील इटारसी...... अनावेदकण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका न्यायायल अपर कलेक्टर होशंगाबाद जिला होशंगाबाद के न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण क0 42 अ / 70 वर्ष 2006–07 जिसके पक्षकार मथुरा प्रसाद व अन्य, बनाम रेवती प्रसाद व अन्य हैं, में दिनांक 05.05.2008 को पारित प्रत्यावर्तित आदेश के विरूद्ध क्षुब्ध एवं व्यथित होकर प्रस्तुत कर रहा है । अपर कलेक्टर होशंगाबाद के न्यायालय में पंजीबद्ध पुनरीक्षण याचिका अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के न्यायालय में दर्ज राजस्व अपील क्रमांक 50 ए–70 / वर्ष 2006–07 जिसके पक्षकार रेवती प्रसाद व अन्य बनाम मथुरा प्रसाद व अन्य हैं, में पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.09.2007 के विरूद्ध उत्पन्न थी । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.05.2008 को दिनांक 07.09.2007 के आदेश को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/1682

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.1.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष अपर कलेक्टर जिला होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 42/अ–70/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 5–5–08 के विरूद्ध दिनांक 13–6–2008 को निगरानी प्रस्तुत हुई थी । तत्समय म0प्र0भू–राजस्व संहिता में उन्हें निगरानी सुनने का अधिकार था, क्योंकि संहिता में दिनांक 31–12–2011 को संशोधन हुआ है उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है । अतः इस स्थिति में आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि उन्हें निगरानी सुनने का अधिकार नहीं है । अतः इस संबंध में आयुक्त को अभिलेख वापिस भेजा जावे कि वे गुणदोषों पर निगरानी का निराकरण करें । आयुक्त को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	